resilience. While choice of schemes, keeping these objectives in view, is left to the State Governments concerned, an outlay of Rs. 640 crore (at 1991-92 prices) is anvisaged during the Eighth Five year Plan period.

Reward for Customs Officers

6407. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the ceiling of rupees 10.00 lakhs on reward of customs officers and State agencies is affecting the anti-smuggling measures;

(b) whether the officers who have received reward of rupees 10.00 lakhs will stop doing anti-smuggling work;

(c) what will be the amount of incentive to be paid to these officers;

(d) whether the incentive of reward is stopped to them; and

(e) whether the limit of 10.00 lakhs rupees reward will be removed as it is affecting anti-smuggling work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) At present there are no indications of any adverse effects due to ceiling of reward of Rs. 10 lakh to custom officers entrusted with the job of anti-smuggling.

Officers doing anti-smuggling work do not cease doing their work on achieving the reward of Rs. 10 lakh. According to available information there are a number of officers who are giving very good results even after they have reached the limit of Rs. 10 lakh as reward.

(c) and (d) it is true that further rewards are not admissible to such officers. However such officers are eligible to other incentives like President's Appreciation Certificate for excellent performance.

(e) Reward Policy is under challenge before Hon'ble Supreme Court. Changes in Reward Policy shall be considered as and when a need for the same arises.

स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों के नाम शेयर

6408. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 में ये अनुदेश जारी किए थे कि स्टाक एक्सचेंज सचिवालय के वित्तीय लेखा विभाग के निदेशकों, लेखापरीक्षकों, विधि-सलाहकारों तथा उनके पतियों/पत्नियों तथा बच्चों के नाम शेयरों की संख्या के ब्यौरे तथा शेयर धारण प्रणाली में उनमें से प्रत्येक के द्वारा किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा भेजा जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अनुदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंक

6409. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान उक्त बैंकों की और शाखायें खोले जाने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो उनकी जिला-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 5289 शाखायें कार्य कर रही थीं। इन बैंकों की शाखाओं की जिले-वार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया

है कि 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बैंक शाखायें खोलने के लिए कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। मार्च 1995 के अंत तक उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें खोलने के लिए पता लगाए गए केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

विवरण—I

30.6.93 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार शाखाएं

जिला	शाखाओं की सं॰
1	2
आगरा	157
अलीगढ़	108
इलाहाबाद	194
अल्मोड़ा	60
आजमगढ़	102
बहराइच	64
बलिया	52
बांदा	38
बाराबंकी	39
बरेली	98
बस्ती	69
बिजनौर	89
बदायूं	63
बुलंदशहर	139
चमोली	34
देहरादून	122
देवरिया	90
एटा	52
इटावा	60
फैजाबाद	87
फर्रुखाबाद	47
फतेहपुर	51
फीरोजाबाद	50
गढ़वाल	64
गाजियाबाद	194
गाजिपुर	70
गोंडा	104
गोरखपुर	110
हमीरपुर	42
हरदोई	71
हरिद्वार	82
जालौन	44
जौनपुर	89
झांसी	72
कानपुर	267
कानपुर देहात	46
लखिमपुरखीरी	82
ललितपुर	22
लखनऊ	228
महाराजगंज	41
मैनपुरी	28
मथुरा	130
मऊ	39
मेरठ	219
मिर्जापुर	58
मुरादाबाद	109
मुजफ्फरनगर	146
नैनीताल	100
पीलीभीत	57
पिथौरागढ़	35
प्रतापगढ़	56
रायबरेली	55
रामपुर	59
सहारनपुर	136
शाहजहांपुर	75
सिद्धार्थनगर	45
सीतापुर	50
सोनभद्रा	51
सुलतानपुर	45
टिहरी गढ़वाल	48
उन्नाव	56
उत्तरकाशी	22
वाराणसी	178
योग	5289

विवरण—II

1990-91 योजना के तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवंटित केन्द्रों की सूची और शाखाएं जिन्हें अभी खोला जाना है।

ग्रामीण

जिला	केन्द्र	बैंक
देहरादून	बंदाकली	
	सहस्त्रधारा	बैंक आफ बड़ौदा
शाहजहांपुर	नरौथादेवीदास	बैंक आफ बड़ौदा
बाराबंकी	सरहेमन	बैंक आफ बड़ौदा
	अर्ध-शहरी	
बस्ती	खलीलाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
रायबरेली	जायस	एस॰बी॰ इन्दौर
उन्नाव	शुकुलगंज	

जिला	केन्द्र	बैंक
इटावा	ओरिया	
गाजियाबाद	मोदीनगर	
नैनीताल	हल्दवानी	एस० बी० पटियाला
नैनीताल	काशिपुर	एस०बी० पटियाला
हरिद्वार	रूढ़की	"
ऋशिकेश	ऋशिकेश	"
हरदोई	हरदोई	"
अलीगढ़	हाथरस	"
बिजनौर	नजीबाबाद	"
मुजफ्फरनगर	शामली	"
मथुरा	कोशिकलां	"
उन्नाव	उन्नाव	"
बुलन्दशहर	खुर्जा	इलाहाबाद बैंक
"	"	"
नैनीताल	हल्द्वानी	"
मुजफ्फरनगर	शामली	"
बाराबंकी	रायबरेली	"
नैनीताल	हल्द्वानी	बैंक आफ बड़ौदा
मेरठ	मण्डी बारंत	बैंक आफ इंडिया
अलमोड़ा	रानीखेत	केनरा बैंक
प्रतापगढ	प्रतापगढ	"
देवरिया	रुद्रपुर	सैन्ट्रल बैंक आफ्री इंडिया
मथुरा	वृन्दावन	"
खेरी	लखिमपुर	"
फरुखाबाद	कन्नौज	"
आजमगढ़	मुबारकपुर	ओरियन्टल बैंक आफ
नैनीताल	रामनगर	कामर्स पंजाब नैशनल बैंक
मथुरा	सादाबाद	पंजाब नैशनल बैंक
बरेली	बहेरी	-तदैव-
मुजफ्फरनगर	खैराना	-तदैव-
मेरठ	बागपथ	-तदैव-
गाजीपुर	गाजिपुर	-तदैव-
फेजाबांद	अयोध्या	-तदैव-
गांजीपुर	सैदपुर	-तदैव-
हरिद्वार	रूड़की	-तदैव-
सहारनपुर	देवबन्द	सिंडिकेट बैंक
गाजियाबाद	दादरी	-तदैव-
गोंडा	गोंडा	-तदैव-
गाजियाबाद	मोदीनगर	यूनियन बैंक
लखीमपुर	लखीमपुर	-तदैव-
खीरी	खीरी	-तदैव-
हरिद्वार	हरिद्वार	-तदैव-
बलिया	बलिया	यूको बैंक
गांडा	गांडा	यूनाइटैड बैंक आफ इंडिया

जिला	केन्द्र	बैंक
	शहरी / महानगरी	
कानपुर	कराही रोड	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
	टैगोर रोड कैंट	कार्पोरेशन बैंक
लखनऊ	से.18, रिंग रोड, इंदिरानगर	भारतीय स्टेट बैंक
	सादतगंज	बैंक आफ इंडिया
आगरा	राजपुर चुंग	पी एण्ड एस० बी०
इलाहाबाद	कल्याणी देवी	भारतीय स्टेट बैंक
	खुल्दाबाद	बैंक आफ इंडिया
	गोविंदपुर	पंजाब नैशनल बैंक
वाराणसी	बीएचयू कैम्प	केनरा बैंक
सीतापुर	नेकपुर बुदन रोड	यूनियन बैंक
बरेली	तरैनपुर पुराना सीतापुर	-तदैव-
शाहजहांपुर	कैंट	इंडियन ओवरसीज बैंक
	लोधीपुर	केनरा बैंक
	बहादुरगंज	एस०बी० पटियाला
देहरादून	आर्यनगर	सेंट्रल बैंक
	डीएल रोड	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
	धोबलवाला	पी०एन०बी०
	चौक-न्यु	देना बैंक
सहारनपुर	नवीन नगर	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
मुज्जफर नगर	उत्तर सिविल लाईंस	यूनियन बैंक आफ इंडिया
इटावा	सिविल लाइंस	इंडियन बैंक
	छैरहा	केनरा बैंक
फुरूखाबाद	मन दरवाजा	केनरा बैंक
	भोलापुर फतेहगंज	पंजाब नैशनल बैंक
बहराइच	बसीरगंज	यूनाइटेड बैंक
मुरादाबाद	सम्भल रोड	भारतीय स्टेट बैंक
गोरखपुर	बलोटिया बाजार	यूनियन बैंक
मेरठ	बंकर नगर	भारतीय स्टेट बैंक
गाजियाबाद	वैशाली	स्टेट बैंक आ ँफ इंदौर
	प्रताप विहार	एस०बी० मैसूर
	नोएडा से.14.14क.15क. और 15क	पंजाब नैशनल बैंक
	नोएडा से.21 और 25	एस०बी० त्रावणकोर
हापुड़	मेरठ रोड	एस०बी० पटियाला
फैजाबाद	सिविल लाईंस	इंडियन ओवरसीज बैंक
गाजियाबाद	कोशासुभी	पंजाब नैशनल बैंक

उपर्युक्त के साथ-साथ बैंकों को योजना के अतिरिक्त निम्नलिखित केन्द्र आबंटित किए गए हैं जहां अभी भी शाखाएं खोली जानी हैं:

इलाहाबाद	राजपुर मोहल्ला	पंजाब नैशनल बैंक
लखनऊ	अमौसी इंड क्षेत्र	भारतीय स्टेट बैंक
मेरठ	मेरठ	कार्पोरेशन बैंक

1	2	3
मुरादाबाद	मुरादाबाद	कार्पोरेशन बैंक
कानपुर	किदवई रोड	-तदैव-
झांसी	टेशनरोड	पी०एन०बी०
मुरादाबाद	मजोला दिल्ली रोड	-तदैव-
जौनपुर	शंकर मंडी	-तदैव-
गाजियाबाद, हापुर	सुरजपूर-कासनाः औद्य० क्षेत्र	यूनियन बैंक आफ इंडिया

गुजरात में जीवन बीमा निगम की शाखायें

6410. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कार्यरत जीवन बीमा निगम की शाखाओं की संख्या का सर्कल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा सर्कल-वार तथा शाखा-वार कितनी-कितनी धनराशि अर्जित की गई तथा क्या सेवायें प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निगम द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया तथा पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार द्वारा गुजरात के लोगों को बीमा योजना के अधीन लाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) गुजरात में जीवन बीमा निगम की प्रभाग-वार शाखाओं की संख्या निम्नलिखित हैः

प्रभाग	शाखाओं की संख्या
अहमदाबाद	29
गांधीनगर	25
बडोदरा	16
राजकोट	18
भावनगर	10
सूरत	21
नाडियाड	17
	136

(ख) और (ग) जीवन बीमा कारोबार में लाभों की कोई प्रणाली नहीं होती। फिर भी समूचे निगम को परिसम्पत्तियों और देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा अधिशेष का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अधिशेष का 95 प्रतिशत भाग पालिसी धारकों में बांट दिया जाता है और 5 प्रतिशत भाग सरकार को अदा किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात के नाडियाड को छोड़कर जो 1993-94 में ही बना है, छः प्रभागों में प्रभाग-वार और शाखा-वार किए गए कारोबार का ब्यौरा तथा उस अवधि के दौरान निगम द्वारा निवेशित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र में 132] गुजरात सहित सभी राज्यों में स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपना कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा सतत प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Disposal of Complaints by SEBI

6411. SHRI ISH DUTT YADAV:
CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the complaints sent to SEBI and Stock Exchange are not disposed of effectively and immediately by the Registrar Office;

(b) if so, what is Government's reaction;

(c) the number of complaints received every year in SEBI and Stock Exchange during the last three years; and

(d) the number of complaints disposed of during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE